

e jB fodk l i kf/kdj.k

dh

;k t ukvk d vUrxir

fufonk i)fr l l kenkf; d dUn

d

l pkyu gr

fu;e , o 'krk' dh fooj.k i fLr dk

¼foØ; vof/k foKkiu fnukd l fufonk fnukd rd½

eY; : i ; 500@&

**मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक
केन्द्र/सभागार/प्रेक्षाग्रह/खुला क्षेत्र का अनुरक्षण/संचालन फर्मों एवं
संस्थाओं/व्यक्तियों को दिये जाने हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें**

1. सामुदायिक केन्द्र/सभागार/प्रेक्षाग्रह/खुला क्षेत्र एवं खुला क्षेत्र हेतु सील्ड निविदा आवेदन पत्र **iR;d cgLifrokj** को प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे सांयकाल तक प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जाएंगे। प्राप्त निविदा आवेदन पत्र उसी दिन सांयकाल 4:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभाकक्ष में समिति एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष खोले जायेंगे। सील्ड निविदा आवेदन पत्र में प्राप्त दरों में उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च निविदा आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं, तथा पुनः निविदा आवेदन पत्र आमन्त्रित कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को अपने निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वःहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तें संलग्न करना अनिवार्य है जिस निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वःहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तें संलग्न होना नहीं पाया जायेगा उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक हो, आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
3. निविदा आवेदनकर्ता फर्म/समिति/संस्था/कम्पनी को अपना पंजीकरण नम्बर भी देना होगा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।
4. निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र के साथ आरक्षित धनराशि की 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो, मूल रूप में संलग्न कर प्राधिकरण सभाकक्ष में रखे निविदा बॉक्स में नियत तिथि/समयावधि में डालना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के बिना दिये गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र० सं०	सामुदायिक केन्द्र का नाम	सामुदायिक केन्द्र का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	संचालन हेतु अवधि	प्रथम वर्ष के लिये न्यूनतम आरक्षित धनराशि (लाख में)	10% धरोहर राशि (लाख रु० में)
1.	सामुदायिक केन्द्र पाण्डवनगर पाकेट-एफ	4031.94	581.03	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50
2.	सामुदायिक केन्द्र पल्लवपुरम फेस-प्रथम पोकेट सी	1320.02	427.00	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50
3.	सामुदायिक केन्द्र गंगानगर पोकेट ओ	3000.00	785.00	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50

आवेदक हस्ताक्षर.....

5. निविदा आवेदन पत्र में सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण एवं सशर्त निविदा आवेदन पत्र तथा आरक्षित मूल्य के कम निविदा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। निविदा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना असत्य पाये जाने पर अनुक्षण/संचालन हेतु दिया गया पत्र एवं अनुबन्ध निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. इच्छुक निविदा आवेदनकर्ता को निविदा आवेदन पत्र में प्रस्तावित धनराशि सामुदायिक केन्द्र के सम्मुख अंकित करनी होगी। इसके साथ ही हैसियत एवं आचरण प्रमाण-पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा छः माह के अन्दर निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अनुक्षण/संचालन हेतु विज्ञापित सामुदायिक केन्द्र, वैवाहिक/सामाजिक एवं अन्य मांगलिक कार्य हेतु दैनिक आधार पर आरक्षित किये जायेंगे। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम/राजनैतिक सभाओं/रैली हेतु जिनमें कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित है, के लिए जिलाधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. निविदा आवेदनकर्ता dk ;g Hkh Li"V fd;k tkrk gl fd mDr lkenkf;d dUn io l gh ikf/kdj.k }kjk fofHkUu frfFk;k e vkjfk{kr gA bu frfFk;k e fd, x, vkj{k.k ioor% cu jgix rFkk bud lki{k tek /kujkf'k Hkkoh lQy vkond dk ugh nh tk;xhA lkenkf;d dUn d io l vkjfk{kr frfFk;k dk fooj.k vkonu&i=@'krkl d l kFk l yXu gA
9. आवेदन के साथ न्यूनतम आरक्षित धनराशि का 10 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो जमा करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट के बिना दिए गए निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अवशेष धनराशि निविदा आवेदन पत्र की स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक अवशेष धनराशि का भुगतान करके सूचित न करने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा 10 प्रतिशत टोकन मनी/धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। जमानत धनराशि के रूप में ₹0 1,00,000/- की धनराशि सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम से देय पेय आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी, जो सम्पूर्ण अवधि के बाद सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्ड से कोई क्षति/टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता न होने की आख्या प्राप्त होने पर वापस की जा सकेगी तथा कोई क्षति/टूट-फूट अथवा अन्य कोई देयता पाये जाने पर जमानत धनराशि से कटौती करके अवशेष धनराशि वापस की जाएगी। संचालक को वार्षिक संचालन सम्बन्धी अनुबन्ध भी करना होगा, जिसका व्यय संचालक को स्वयं वहन करना होगा। सामुदायिक केन्द्र का कब्जा पूर्ण भुगतान के बाद ही दिया जायेगा। यदि कम्युनिटी हाल का उपयोग करने की अवधि पूर्ण होने पर रुपये 1,00,000/- से अधिक की टूट-फूट होनी पायी जाती है या अन्य कोई देयता उपजती है तो आंकलन के अनुसार वास्तविक धनराशि अनुबन्धकर्ता से वसूली जायेगी।
10. निविदा आवेदन पत्र में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर ही किसी व्यक्ति अथवा फर्म का अनुक्षण/संचालन का अधिकार नहीं माना जाएगा। अनुक्षण/संचालन का अधिकार उसी समय माना जाएगा जब सक्षम स्तर अर्थात् उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति उपरान्त अनुक्षण/संचालन हेतु पत्र जारी हो जाएगा तथा समस्त वांछित धनराशि समय से जमा करके समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए कब्जा दे दिया जाएगा।

11. अनुरक्षण/संचालन हेतु आफर प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित है। इसी प्रकार अनुरक्षण/संचालन हेतु आफर प्रक्रिया, आफर के पूर्व शर्तों को प्राधिकरण हित में संशोधन करने या कोई अन्य उपबन्ध प्राविधानित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
12. सामुदायिक केन्द्र/खुला क्षेत्र किसी ऐसे उद्देश्य के लिए आरक्षित नहीं किया जायेगा जो संविधान सम्मत न हो तथा जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्यक्त होने की संभावना हो, जिससे भारतीय संस्कृति एवं एकता अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हो या किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने की संभावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
13. अपरिहार्य कारणोंवश शासकीय अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत किसी भी तिथि का किया गया आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।
14. सामुदायिक केन्द्र/सभागार के कक्षों की सजावट हेतु कीलों का प्रयोग वर्जित है। सजावट तथा बिजली की सजावट एवं फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं आवेदक को करनी होगी। लगी हुई फिटिंग के अतिरिक्त बिजली/पानी के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन प्राप्त करना होगा, जिसका व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा सामुदायिक केन्द्र के विद्युत एवं जल संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान संचालक द्वारा किया जाएगा।
15. आरक्षित सामुदायिक केन्द्र/लान/स्थल पर कार्यक्रम/समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के असलहों (शस्त्रों) आदि से फायरिंग नहीं की जायेगी।
16. गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर सही तरीके से की जायेगी।
17. माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या-709/मुन्सरिम/व्यवस्था/वी0आई0/2007 दिनांक 09.08.2007 द्वारा एवं ध्वनि मानकों के संदर्भ में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा किये गये आरक्षित सामुदायिक केन्द्र/स्थल पर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।
18. प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण कुल निर्धारित किराये का 25 प्रतिशत शुल्क लेकर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें स्वयं पति/पत्नी तथा उनके पुत्र/पुत्रियों के शुभ विवाह/अन्य मांगलिक कार्यों हेतु आच्छादित होंगे।
19. विभिन्न शासकीय कार्यों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम/अर्द्ध शासकीय विभागों/धार्मिक प्रवचनों सत्संगों अथवा समागम/अथवा चैरिटेबुल प्रयोजन/प्रदर्शनी हेतु निम्नानुसार आरक्षण हेतु किराया लिया जायेगा:-

1	शासकीय/प्राधिकरण	निःशुल्क
2	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु	निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत
3	अर्द्ध शासकीय विभागों द्वारा किये जाने वाले आयोजनों हेतु	निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत
4	धार्मिक प्रवचनों, सत्संगों हेतु	निर्धारित शुल्क का

आवेदक हस्ताक्षर.....

		40 प्रतिशत
5	धर्मार्थ चैरिटेबुल प्रयोजन हेतु	निर्धारित शुल्क का 40 प्रतिशत
6	प्रदर्शनी हेतु	निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत
7.	सम्बन्धित योजना के निवासी जिनका स्वयं का मकान हो तथा पुत्र-पुत्री की शादी हो या जन्मदिन हो के प्रयोजन हेतु	निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत

20. आवेदकों को एक वर्ष की अवधि के दौरान बुकिंग के लिये ली जाने वाली अधिकतम किरायें की दर का उल्लेख स्वः आंकलन के अनुसार करना होगा। कृपया निम्नलिखित तालिका में दर का उल्लेख करें—

d0 l0	l kenkf; d dUn dk uke	vkond }kjk yh tku okyh vf/kdre fdjk, dh nj %ifrfnu%
1	l kenkf; d dUn ik.Mouxj ikdV&,Q	रुपये
2	l kenkf; d dUn iYyoiije Ql&iFke ikdV lh	रुपये
3	l kenkf; d dUn xxxkuxj ikdV vk	रुपये

21. सामुदायिक केन्द्र/खुला प्रेक्षाग्रह जहाँ है जैसा है के आधार पर अनुरक्षण/संचालन हेतु दिया जायेगा। संचालन करने वाली फर्म इनके लै-आउट एवं निर्माणों में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं करेगी, यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण से उसकी पूर्ण अनुमति लेनी होगी।
22. कार्य संचालन की अवधि कब्जा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष है। उपर्युक्त तिथि तक कम्यूनिटी सेन्टर का रख-रखाव निर्धारित शर्तों के अनुरूप उत्कृष्ट पाये जाने एवं किसी भी शर्त का उल्लंघन न होने पर सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी (व्यवसायिक/बल्क) की समिति कम्यूनिटी सेन्टर का निरीक्षण कर कम्यूनिटी सेन्टर की तिथि सहित फोटोग्राफ पत्रावली पर रखते हुए अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार कम्यूनिटी सेन्टर का रख-रखाव एवं कार्य संचालन निर्धारित शर्तों के अनुरूप तथा सन्तोषजनक पाए जाने पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ अधिकतम दो वर्षों की अवधि हेतु समय वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह समय वृद्धि अन्तिम होगी। और उसके पश्चात नए सिरे से विज्ञापित किया जायेगा।
23. **Major Repairs** को छोड़कर वार्षिक रंगाई, पुताई, छोटी मरम्मत, विद्युत/जलापूर्ति के **Fiting/Fixture** तथा फर्नीचर आदि की मरम्मत/प्रतिस्थापन सफल निविदा आवेदनकर्ता द्वारा ही किया जायेगा।
24. सफल निविदादाता को जन सामान्य के सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों अनुपालन करना होगा।
25. किन्हीं नियमों व शर्तों में परिवर्तन का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण में निहित होगा, तथा किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा। अन्तिम धरोहर राशि का निर्णय स्वीकृत ऑफर के आधार पर कुल वार्षिक शुल्क का 10 प्रतिशत देय होगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

आवेदक हस्ताक्षर.....

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

संख्या

I kenkf; d dUni ,o [ky {k= dk vuj{k.k@lpkyu gr रेजीडेंट वेलफेयर
एसोसिएशन/ पंजीकृत Qe@dEiuh@lfefr@lLFkkvk@0;fDr;k dk fn; tkui d
lEcU/k e

fufonk vkonu i=

1- vkond dk uke %& -----

2- firK@ifr dk uke %& -----

3- me: %& -----

4- LFkk;h irk %& -----

vkond rki
dk

----- njHkk"K l:0 ---

5- i= 0;ogkj dk irk %& -----

6- vkond dk cid [kkrk l:;k ----- o cid dk uke ----

%;fn vkonudrki Qe] lfefr] lLFkk ;k dEiuh g:rk i:thdj.k iek.k o
eiekj.Me dh iekf.kr ifr vkonu i= d: lFk l:yXu djA% i:thdj.k l:;k ---

7- I kenkf; d dUni dk uke %&-----

%ft l d: fy, fufonk vkonu i= fn;k tk jgk g%

8- gfl;r iek.k i= %& -----

आवेदक हस्ताक्षर.....

- 9- /kjk gj jkf'k vdu : i ; ----- dk cd MkQV@i
 vkMij dh l ; k ----- o fnukd -----
 ----- cid dk uke -----

- 10- vkonudrk }kjk ,d o"ki dh vof/k gr /kujkf'k ft l ij l kenkf ; d dUn
 dk fdjk ; ij yu dk bPNd g d'i ; k mYy[k dj /kujkf'k : i ; -----

(प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का निविदा आवेदनकर्ता ने अध्ययन कर लिया गया है जो मान्य है तथा जिसकी हस्ताक्षरयुक्त प्रति संलग्न है।)

आवेदन की तिथि.....

आवेदक हस्ताक्षर.....